न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 139/2018 **दायरा दिनांक : 27.08.2018**

उनवान

1– राधेश्याम पुत्र हजारीलाल, जाति कुशवाह, उम्र वर्ष, निवासी ग्राम छबड़ा, तहसील छबडा, जिला बारां

2– बद्रीलाल पुत्र हजारी लाल, जाति कुशवाह, उम्र वर्ष, निवासी ग्राम छबड़ा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– द स्टेट आफ राजस्थान जर्ये तहसील छबड़ा, जिला बारां

2– अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका छबड़ा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री उत्पल शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक : 25.10.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 59/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 एल आर एक्ट के तहत अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था कि खसरा नम्बर 333 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, खसरा

नम्बर 336 रकबा 3 बीघा व खसरा नम्बर 335 रकबा 2 बीघा कुल 3 किता की 9 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम माल टोली तहसील छबडा में स्थित है । उक्त भूमि वादीगण के पितामह लघुनाथ जी को सन् 1964 में आवंटित हुई थी । आवंटन के उपरान्त लगान जमा कराने के उपरान्त दिनांक 03.10.1977 को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे जिसमें परिणीती में इंतकाल नम्बर 124 खोला गया किन्तु उक्त आराजी की खातेदारी सहवन से अपीलांट के दादा को प्रदान नहीं की गई । अतः अपीलांट द्वारा दावा अधीनस्थ न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादी रेस्पोडेंटगण को कई अवसर देने के बाद भी उपस्थित नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब बन्द कर दिया गया तथा पत्रावली पर उपरोक्त दस्तावेज एक्जीविट 1 व एक्जीविट 2 जो कि खतौनी सम्वत 2069–72 एवं एक्जीविट 4 जो कि नामान्तरकरण संख्या 124 और एक्जीविट 5 मृत्यु प्रमाण पत्र हजारीला, एक्जीविट 6 मृत्यु प्रमाण पत्र रघुनाथ तथा शपथ पत्र इत्यादि प्रस्तुत किये गये हैं जिसके आधार पर वादी अपीलांट का वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार फरमाते हुए खसरा नम्बर 336 रकबा 3 बीघा और खसरा नम्बर 335 रकबा 2 बीघा अपीलांट को प्रदान की गई है । खसरा नम्बर 333 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा की खातेदारी अपीलांट को प्रदान नहीं की गई । इस सम्बन्ध में नामान्तरकरण संख्या 556 दिनांक 28.06.2017 को अपीलांट के खाते दर्ज कर खसरा नम्बर 336 एवं 335 की भूमि अपीलांट की खातेदारी में दर्ज कर दी गई किन्तु दिनांक 05.06.2018 को समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकार द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित निर्णय को रिव्यू करते हुए अपने निर्णय दिनांक 31.05.2017 को अपास्त कर दिया गया, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.06.2018 न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध

होने से काबिले निरस्तनीय है । डिक्री दिनांक 31.05.2017 को अपास्त कर जो निर्णय दिया वह अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे है एवं सिविल प्रक्रिया संहिता के विरूद्ध है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सी पी सी के आदेशानुसार पुर्नावलोकन का कोई प्रार्थना पपत्र पेश नहीं हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुर्नावलोकन को लेकर उपरोक्त निर्णय पारित किया गया है जो अपास्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय के सम्पूर्ण पत्रावली के पुर्नावलोकन से स्पष्ट हे कि प्रतिवादी नम्बर 2 अधिशाषी अधिकार, नगरपालिका छबड़ा मूल वाद की बहस के समय उपस्थित नहीं था यदि वे उपस्थित हुआ तो निर्णय की स्थिति कुछ और हो सकती थी जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट को स्मरण पत्र जारी किया गया परन्तु उनकी ओर से कोई जवाब पेश नहीं हुआ । अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो पुर्नावलोकन कर नये सिरे से निर्णय पारित कर अपने निर्णय दिनांक 31.05.2017 को अपास्त किया गया है वह विधि विरूद्ध है एवं अपास्त करने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.06. 2018 को समाचार पत्र दैनिक भास्कर में छपी खबर को आधार बनाते हुए जो विधि विरूद्ध, गलत तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही की गई है वह निरस्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो कार्यवाही की गई है वह सही एवं विधि अनुरूप है । अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । वाद का मूल आधार यह है कि विवादित भूमि अपीलांट के पितामह को आवंटित हुई थी जिसके आधार पर अपीलांट द्वारा खातेदारी घोषणा चाही गयी है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्ण रूप से एक्जीविट 4 जो कि नामान्तरकरण संख्या 124 है उस पर आधारित है । नामान्तरकरण संख्या 124 के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि यदि अपीलांट के पितामह को कोई जमीन का आवंटन हुआ था तो आवंटन के पश्चात गैर खातेदारी क्यों नहीं दर्ज हुई । नामान्तरकरण फर्द में पटवारी के द्वारा यह रिपोर्ट की गई है कि आलोटी का 1964 से आज दिनांक तक कब्जा है । परन्तु इंतकाल नहीं खुलने से लगान जमा नहीं कराया गया है जिस पर तहसीलदार द्वारा भी यह पुष्टि की गई है कि रघुनाथ को सन् 1964 में आवंटन हुआ है जिसे 10 वर्ष हो चुके हैं । अतः खातेदारी दर्ज हो एवं लगान 1964 से वसूल हो । यहां पर यह उल्लेखनीय है कि यदि अपीलांट को 1964 में आवंटन हुआ था तो अपीलांट के नाम गैर खातेदारी दर्ज होनी चाहिए थी । गैर खातेदारी से खातेदारी देने के नियम अनुसार अपीलांट को 10 वर्ष तक लगातार कब्जे एवं लगान अनियमित रूप से जमा किया जाना आवश्यक है । उपरोक्त दोनों तथ्यों की पुष्टि नामान्तरकरण फर्द से नहीं होती है । दिनांक 03.10.1977 के नामान्तरकरण के बाद अपीलांट के द्वारा सन् 2015 में पहली बार दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत पेश किया गया । इतने समय तक अपीलांट के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं किया जाना संदेहास्पद है एवं तर्क संगत नहीं है । अपीलांट के द्वारा वाद में जो तथ्य कहे गये हैं उनकी पुष्टि के लिए पटवारी और तहसीलदार की कोई रिपोर्ट पत्रावली पर

उपलब्ध नहीं है । उपरोक्त जमीन वर्तमान में नगर परिषद के खाते में दर्ज है । बिना रेस्पोडेंट की सुनवायी किये सिर्फ एक नामान्तरकरण फर्द के आधार पर अपीलांट को जिस प्रकार से खातेदारी प्रदान की गई है यह पीठासीन अधिकारी की कर्त्तव्यपरायण पर भी संदेह पैदा करता है । अपीलांट के कब्जे बाबत कोई रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं है एवं एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार घोषणा प्राप्त करने का प्रतिवादी अधिकारी नहीं है । इस सम्बन्ध में यहां रेवेन्यु बोर्ड के प्रकरण संख्या अपील/डिक्री/टीए/5176/2002/कोटा निर्णय दिनांक 30.08.2018 का उल्लेख नीय है कि उपरोक्त समस्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.05.2017 अपास्त होने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है वह यद्यपि बिना किसी अधिकार एवं क्षेत्राधिकार के निर्णय पारित किया गया है । अतः वह भी खारिज योग्य है । तथापि चूंकि निर्णय दिनांक 26.06.2018 विधि सम्मत नहीं है । अतः अपास्त किया जाना न्यायोचित है । विवादित आराजी पुनः पूर्ववत राज्य सरकार के खाते में दर्ज की जानी चाहिए ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.06.2018 अपास्त किया जाता है एवं विवादित आराजी पुनः राज्य सरकार के खाते में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं ।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा